[2021] 6 एस. सी. आर. 486

सचिन कश्यप और ओआरएस।

वी.

सुशील चंद्र श्रीवास्तव और ओआरएस।

(सिविल अपील सं. 2691 2021 का)

15 जुलाई, 2021

[वाइन सरन और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

दलीलें: उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में प्रभावित पक्षों को शामिल न करना-उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश जारी करना

रिट याचिका में, किसी विशेष मुद्दे के संबंध में कोई अभिवचन या प्रार्थना किए बिना-तथ्यों पर प्रभाव, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका जिसमें प्रत्यर्थी प्राधिकारी को क्षेत्र से एल. सी. डी. को हटाने का निर्देश जारी करने की मांग की गई है-उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश कि 2000 के नियमों के तहत, डी. जे. को कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा क्योंकि डीजे द्वारा उत्पन्न शोर अप्रिय और अप्रिय स्तर का है-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: चूँकि सार्वजनिक स्थानों पर संगीत या डीजे बजाने के संबंध में न तो अभिवचन थे और न ही कोई प्रार्थना, उच्च न्यायालय का निर्देश, डीजे द्वारा उत्पन्न शोर और संगीत बजाने पर प्रतिबंध के संबंध में, उचित नहीं है-रिट याचिका एक विशेष कारण के लिए दायर की गई है और एक विशेष प्रार्थना के साथ, किसी विशेष मुद्दे के संबंध में कोई अभिवचन या प्रार्थना किए बिना सामान्य या सार्वजनिक महत्व के सभी मुद्दों को इसके दायरे में शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है-ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था, विशेष रूप से किसी विशेष मुद्दे में। निजी मुकदमेबाजी जो जनहित याचिका की प्रकृति में नहीं थी-सार्वजनिक महत्व के ऐसे किसी भी आदेश को पारित करने से पहले, प्रभावित पक्षों को कम से कम एक प्रतिनिधि क्षमता में शामिल किया जाना चाहिए-अपीलकर्ता प्रभावित पक्ष हैं जो न तो थे

आरोपित किया और न ही उन्हें अपना मामला पेश करने का कोई अवसर दिया-निर्देश

उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है-अपीलार्थी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को केवल कानून के अनुसार संगीत/डीजे बजाने की अनुमति दी जा सकती है।

और संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक लाइसेंस/अनुमति प्राप्त करने के बाद भारत का संविधान-ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000।

486 सचिन कश्यप बनाम। सुशील चंद्र श्रीवस्तवा

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2691

2021 से।

उच्च न्यायालय के 20.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 के रिट सी. संख्या 1216 में इलाहाबाद में न्यायिक कार्य।

के साथ

दीवानी अपील सं. 2701 , 2692 , 2693 , 2694 , 2695 , 2696 , 2697 , 2698 , 2699 , 2700 , 2702 , 2703 , 2704 , और 2021 का 2705

सुश्री गरिमा प्रसाद। सीनियर ए. ए. जी., एस. आर. सिंह, अरविंद वर्मा, सीनियर।

अधिवक्ता। , अंकुर यादव, प्रतीक यादव, कृष्ण कुमार यादव, प्रमोद कुमार, जबर सिंह, अरविंद यादव, डॉ. अमरदीप गौर, एम/एस। वी. माहेश्वरी एंड कंपनी, शिव सागर तिवारी, रामजी पांडे, राघवेंद्र

शुक्ला, धनंजय कुमार त्यागी, सतबीर सिंह पिल्लानिया, संदीप कालिया, सुश्री रीना राव, डॉ. सुशील बलवाड़ा, हिमांशु त्यागी, अमित वाधवा, शैलेश सिंह, प्रमोद तिवारी, सुश्री प्रियंका दुबे, डॉ. विनोद कुमार तिवारी, फुजैल अहमद अयूबी, विवेक सरीन, सतीश सी. कौशिक, आकर्शन आदित्य, दुष्यंत पाराशर, दिनेश पांडे, मनु पाराशर, अमरेंद्र कुमार सिंह, आनंद मिश्रा, सुश्री हर्षिता रघुवंशी, शशिभूषण पी. अदगांवकर, प्रदीप मिश्रा, सूरज सिंह, सतीश पांडे, अब्दुल कादिर, गुल्फेशान जावेद, गुलशन जहां, निनंदा नायर। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गयाः

आदेश

हस्तक्षेप/अभियोग आवेदनों की अनुमति है। हटाने के लिए 2019 का अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 167927

पक्षकारों के समूह से प्रोफार्मा उत्तरदाता संख्या 4 से 11 को अपीलार्थियों के जोखिम पर अनुमति दी गई है।

छुट्टी दे दी गई। सुविधा के लिए हम सिविल अपील नं.

2691 एस. एल. पी. (सी) No.24806/2019 से उत्पन्न 2021 का प्रमुख मामले के रूप में और इस सामान्य आदेश द्वारा सभी संबंधित अपीलों का निपटान।

यह अपील रिट याचिका में गैर-पक्षों द्वारा दायर की गई है, जो हालांकि सीधे प्रभावित हुए थे, लेकिन न तो उच्च न्यायालय के समक्ष इस रूप में शामिल किए गए थे

पक्षकारों ने न ही ऐसे निर्देश जारी करने के लिए कोई प्रार्थना की थी जिससे वे व्यथित हों।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उत्तरदाता संख्या 1 और 2 ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थीः

" (i) एल. सी. डी. को हटाने के लिए प्रत्यर्थी प्राधिकारी को आदेश देते हुए अनिवार्य प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

((ii) वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस प्रकार की कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जो यह माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे। ((ग)
याचिकाकर्ताओं को रिट याचिका का व्यय अधिनिर्णय करने के लिए।

उक्त प्रार्थनाओं पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.08.2019 के फैसले के अंतिम पैराग्राफ में 9 निर्देश जारी किए। अपीलार्थी उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश सं. (iii) से व्यथित हैं, जो नीचे दिया गया हैः

" (iii) नियम, 2000 के तहत, प्राधिकरण द्वारा डीजे के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि डीजे द्वारा उत्पन्न शोर अप्रिय और अप्रिय स्तर। भले ही वे ध्वनि के न्यूनतम स्तर पर संचालित किए जाते हैं, यह नियम, 2000 की अनुसूची के तहत अनुमेय सीमा से परे है। डीजे कई एम्पलीफायरों से बना होता है और उनके द्वारा उत्सर्जित संयुक्त ध्वनि हजार डीबी (ए) से अधिक होती है। वे मानव स्वास्थ्य विशेष रूप से बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और अस्पतालों में भर्ती रोगियों के लिए गंभीर खतरा हैं।

अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील का निवेदन यह है कि पूरी रिट याचिका में इस संबंध में न तो कोई अभिवचन था -

डीजे द्वारा उत्पन्न शोर अप्रिय और अप्रिय स्तर का था और न ही रिट याचिका में ऐसी कोई प्रार्थना की गई थी। राहत की बात

विचाराधीन विशेष क्षेत्र, जो एक अलग मुद्दा था, और अपीलार्थियों को इसके बारे में कोई शिकायत नहीं है। अपीलार्थी केवल निर्देश सं. ((ग) ऐसे मामले के संबंध में जारी किया गया जो उच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा नहीं था। अपीलार्थियों के विद्वान वकील का तर्क है कि उन्हें संबंधित ध्वनि प्रदूषण के तहत जिला प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही सार्वजनिक स्थानों पर संगीत बजाने का अधिकार है

(विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000। यह तर्क दिया जाता है कि उपरोक्त निर्देश सं. में निहित प्रतिबंध लागू करके। (iii) उच्च न्यायालय द्वारा जारी, अपीलार्थियों की आजीविका भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) द्वारा प्रभावित और प्रभावित है।

सचिन कश्यप बनाम। सुशील चंद्र श्रीवस्तवा

इसके विपरीत, निजी उत्तरदाता संख्या 1 और 2 (उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता) के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि हालांकि

सार्वजनिक स्थान पर संगीत (डीजे) बजाने के संबंध में ऐसी कोई प्रार्थना नहीं थी, और रिट याचिका केवल विशेष क्षेत्र में एल. सी. डी. बजाने तक सीमित थी, फिर भी इस तरह के निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जारी किए जा सकते थे।

लेखन याचिका।

उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद और इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से पेश वकील सुश्री हर्षिता रघुवंशी ने कहा है कि वे उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं और उपरोक्त निर्देश सं. ((iii) राज्य सरकार के साथ-साथ इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पक्षकारों को डीजे बजाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, सिवाय उन मामलों के जहां इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है और पक्षकारों ने आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली है।

पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, हमारी स्पष्ट राय है कि चूंकि

सार्वजनिक स्थान पर संगीत या डीजे बजाने के संबंध में न तो अभिवचन और न ही कोई प्रार्थना, निर्देश सं। ((ग) उच्च न्यायालय का, जैसा कि डीजे द्वारा उत्पन्न शोर और संगीत बजाने पर प्रतिबंध के संबंध में ऊपर उद्धृत किया गया है, कानून में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। रिट याचिका एक विशेष कारण के लिए दायर की गई है और एक विशेष प्रार्थना के साथ नहीं हो सकती है किसी विशेष मुद्दे के संबंध में कोई अभिवचन या प्रार्थना किए बिना सामान्य या सार्वजनिक महत्व के सभी मुद्दों को इसके दायरे में लाने के लिए इसका विस्तार किया गया। हमारे विचार में, ऐसा कोई निर्देश नहीं हो सकता था

विशेष रूप से एक निजी मुकदमे में जारी किया गया था जो जनहित याचिका की प्रकृति में नहीं था। हम ऐसा विशेष रूप से इसलिए कहते हैं क्योंकि सार्वजनिक महत्व के ऐसे किसी भी आदेश को पारित करने से पहले, प्रभावित पक्षों को कम से कम एक प्रतिनिधि क्षमता में शामिल किया जाना चाहिए, जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया है। यहाँ अपीलकर्ता प्रभावित पक्षकार हैं जिन्हें न तो शामिल किया गया था और न ही अपना मामला पेश करने का कोई अवसर दिया गया था।

इस प्रकार, निर्देश को रद्द करते हुए नं। (iii) उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, हम इसे स्पष्ट करते हैं।

कि अपीलार्थी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को केवल कानून के अनुसार और संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित लाइसेंस/अनुमति प्राप्त करने के बाद ही संगीत/डीजे बजाने की अनुमति दी जा सकती है। तदनुसार आदेश दिया।

सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, अपील को अनुमति दी जाती है

ऊपर बताया गया है।

202 के सिविल अपील सं. 2691 में पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए

एस. एल. पी. (सी) No.24806/2019 में से अन्य संबंधित अपीलों को तदनुसार संशोधित किया गया है।

अपीलों की

अनुमति

में